श्री राम विलास पासवान के स्थान पर राज्य सभा का उप-निर्वाचन,2020

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश) प्ररूप 21ख

[नियम 11(1) देखिए]

(आकरिमक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान निर्विरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2)*/ उपधारा (3)* के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

बिहार (राज्य) विधान समा के निर्वाचित सदस्य द्वारा राज्य समा के लिए निर्वाचनः

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2)*/ उपधारा (3)* से अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि —

श्री सुशील कुमार मोदी (नाम), रोड न0-8 ए, राजेन्द्र नगर, पटना-800016 जिला-पटना (पता), जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त / रिजस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए है। उस सदन में, श्री राम विलास पासवान की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान – पटना दिनांक –07.12.2020



(संजय कुमार अग्रवाल, मा०प्र०से०) निर्वाची पदाधिकारी, राज्य समा उप निर्वाचन, 2020

निर्वाची पदाधिकारी राज्य सभा उप-निर्वाचन

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules and Order)

FORM 21B

[See rule 11 (1)]

(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is uncontested)

Declaration of the result of Election under sub-section(2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Council of States by the elected members of Legislative Assembly Bihar (State).

In pursuance of the provisions contained in sub-section(2)*/sub-section (3)* of section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961,

I declare that -

Shri Sushil Kumar Modi (Name) Road No-8A, Rajendra Nagar, Patna-800016, District - Patna (Address) sponsored by Bharatiya Janata Party (name of the recognised/registered political party) has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Shri Ram Vilas Paswan.

Place: PATNA Date: 07.12.2020



(Sanjay Kumar Agarwal, I.A.S)

Returning Officer

Bye-Election to the Council of States

Returning Officer

Bye-Election to the

Council of States